



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266925
CG-DL-E-14102025-266925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4530]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947

No. 4530]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4659(अ).— योजना एवं वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 3 जुलाई, 2018, की संख्या का.आ. 3239 (अ), के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 19, 20, 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

19.	प्रोफेसर कविता दर्यानी राव, पूर्व कुलपति, जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय, हैदराबाद;	सदस्य;
20.	प्रोफेसर चेतन वैद्य, पूर्व निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली;	सदस्य;
21.	प्रोफेसर मनोरंजन परिदा, निदेशक, सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली;	सदस्य;

[फा. सं. 3-7/2015-टीएस.VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई, 2018 का.आ. 3239(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, प्रकाशित की गई थी और इसके बाद में दिनांक 11 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5378(अ), के माध्यम से संशोधित की गई।

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2025

S.O. 4659(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 of the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, erstwhile Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S. O. 3239(E), dated the 3rd July, 2018, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers 19, 20, 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

19.	Prof. Kavita Daryani Rao, former Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, Hyderabad;	Member;
20.	Prof. Chetan Vaidya, former Director, School of Planning and Architecture, New Delhi;	Member;
21.	Prof. Manoranjan Parida, Director, CSIR-Central Road Research Institute, New Delhi;	Member;

[F. No. 3-7/2015-TS.VI]

SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3239(E) dated the 3rd July, 2018 and subsequently amended *vide* notification number S.O.5378(E), dated the 11th December, 2024.